पत्रांक–1प्रा0आ0–84 / 2003 / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषय– सरकारी देशी नावों के सुरक्षित रख–रखाव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्तरीय अपर समाहर्त्ताओं / वरीय उप समाहर्त्ताओं (आपदा प्रबंधन) के बैठक में विचार–विमर्श के दौरान जिला के पदाधिकारियों द्वारा जिला / अंचल में उपलब्ध सरकारी देशी नावों के रख–रखाव के संबंध में विभाग से निदेश की अपेक्षा की गयी ।

2. इस संबंध में दिनांक–23.02.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया निर्णय निम्नानुसार संसूचित किया जाता है:–

(क) सरकारी नाव के सुरक्षित रख–रखाव के लिए किसी ऐसे मत्स्यजीवी सहकारी संघ, जिसको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बंदोबस्ती किया गया हो, अथवा किसी स्थानीय सक्षम जिम्मेदार व्यक्ति को नाव "जहाँ जिस स्थिति में है आधार पर दिया जा सकता है। बाढ़ आदि के समय उसी स्थिति में नाव पुनः वापस ली जायेगी ।

(ख) सुरक्षित रख–रखाव हेतु उपर्युक्त प्रकार से दिये गए सरकारी नावों का भौतिक सत्यापन प्रति माह सक्षम स्तर से कराया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि राज्य कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप सरकारी देशी नावों के सुरक्षित रख–रखाव हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–.................................. / आ0प्र0, पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–.................................. / आ0प्र0, पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि–मान्नीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–......1229...... / आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 5/5/17

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

\\Win-3nc44tmegju\d\2017\Baxala sir\Letter 28-04-2017.docx